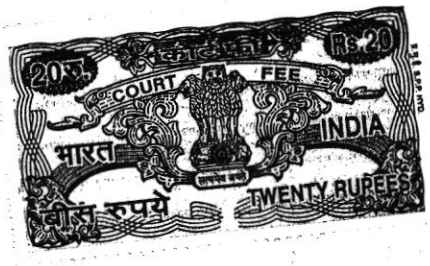

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र. क्र. I/पुनर्विलोकन/टीकमगढ़/भू.रा/2018/2312

1. श्रीमती कपूरी विधवा हरदास लोधी
2. श्री महेश चन्द्र बल्द स्व. हरदास लोधी
3. दुरगसींग बल्द स्व. हरदास लोधी

सभी निवासी सादिकपुरा तहसील निवाड़ी जिला टीकमगढ़ म.प्र.

--- आवेदक

बनाम

धनीराम बल्द श्री रगवर लोधी निवासी लिधौरा तह. जतारा जिला टीकमगढ़, हाल निवास ग्राम तोरका तह. पृथ्वीपुर जिला टीकमगढ़

--- अनावेदक

रामसेवक शर्मा, अभि. द्वारा आज दि. 10.4.18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 20.4.18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 10.4.18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

(रामसेवक शर्मा अधिवक्ता) 10-4-18

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 51 म.प्र.भू.रा.स. 1959 विरुद्ध आदेश दिनांक 6.2.18 द्वारा पारित न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर समक्ष एम. गोपाल रेड्डी प्रशासकीय सदस्य प्र. क्र. निगरानी 3622/दो/15 आदेश दिनांक 6.2.18 के निर्णय से दुखी होकर।

श्रीमान जी,

आवेदकगण का पुनर्विलोकन आवेदन पत्र तथ्यो एवं आधारो पर प्रस्तुत है

1. यह कि, प्रकरण में वर्णित भूमि के सम्बंध में आवेदकगण के पिता एवं पति स्व. हरदास भूमि स्वामी एवं आधिपत्यधारी थे। तथा मृतक हरदास के वारिसानो द्वारा प्रकरण में वर्णित भूमि पर खेती की जाती थी।

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/रिव्यु/टीकमगढ़/भू.रा./2018/2312

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28/5/18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री रामसेवक शर्मा उपस्थित। उन्हें ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। यह पुनरावलोकन इस न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक निगरानी-3622-दो/15 में पारित आदेश दिनांक 06.02.2018 के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया हैं। आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया। संहिता की धारा किसी भी मामले का पुनरावलोकन किए जाने की परिस्थितियों का उल्लेख संहिता की धारा-51 सहपठित आदेश 47 नियम 1 व्यवहार प्रक्रिया संहिता में किया गया है। जिसके अनुसार किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो तत्परता के पश्चात भी पूर्व में आदेश पारित करते समय ज्ञान में नहीं था या कोई ऐसी त्रुटि या भूल जो अभिलेख से प्रकट हो या अन्य कोई पर्याप्त कारण। पुनरावलोकन आवेदन में जो आधार दिए गए हैं उनका निराकरण मेरे द्वारा कारण दर्शाते हुए पूर्व में ही किया जा चुका है। आलोच्य आदेश में मेरे द्वारा स्पष्ट किया गया है कि अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार द्वारा पारित न्यायिक एवं विधि सम्मत आदेशों को निरस्त करने में अवैधानिक कार्यवाही की गई है इस कारण उनका अवैधानिक एवं त्रुटिपूर्ण आदेश स्थिर नहीं रखा जा सकता। दर्शित परिस्थिति में यह पुनरावलोकन आवेदन ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य किया जाता है। **प्रशासकीय सदस्य**	